

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्र.शे./म.स्वा.कार्य./एफ46 (पार्ट II)/2017-18/

दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक - जोन,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि अनुसार राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.11.2017को काउंसलिंग की जा रही है।

उक्त काउंसलिंग में अध्यक्ष/सदस्य अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में आपको अध्यक्ष/सदस्य मनोनीत करने के लिए अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त काउंसलिंग दिनांक 10.11.2017 को ही करवाना सुनिश्चित करे।




(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्र.शे./म.स्वा.कार्य./एफ46 (पार्ट II)/2017-18/303 दिनांक : 9/11/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
6. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
7. प्रभारी, सॉफ्ट कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सभी संयुक्त निदेशक - जोन की मेल आई-डी तथा विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर